माननीय न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन के समक्ष

धर्मवती और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ-प्रतिवादी

2015 का एफ ए ओ नंबर 5108

28 नवंबर 2018

रेलवे अधिनियम, 1989-एस.123(सी)(2) और 124ए-अप्रिय दुर्घटना-बोनाफाइड यात्री-जब मृतक के पास से वैध टिकट पाया जाता है, तो प्रथम दृष्टया यह समझना होगा कि वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था, कुछ दुर्घटना हुई है वह ट्रेन से गिर गया और उसकी जान चली गई - दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं की अनुसूची (मुआवजा) नियम, 1990 के मद्देनजर, दावेदार 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं - अनुकरणीय लागत रेलवे पर 25,000/- रु.

अभिनिर्धारित किया गया कि जब मृतक के पास से एक वैध टिकट पाया गया, तो प्रथम दृष्टया यह समझना होगा कि वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था और इसलिए, यह भी समझना होगा कि ट्रेन से नीचे गिरने के कारण कोई दुर्घटना हुई थी। और उसकी जान चली गई जो आवेदक का मामला है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उपरोक्त का खंडन करने के लिए प्रतिवादी-रेलवे द्वारा कोई ठोस सबूत नहीं दिया जा सका। मेरी सुविचारित राय में, प्रदीप कुमार के बयान पर भरोसा करते हुए पुलिस प्राधिकार पर सख्ती की गई, क्योंकि उन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था और न ही रेलवे द्वारा लिखित बयान में संशोधन किया गया था और यहां तक कि उनका बयान डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया था। पूरी तरह से अनुचित है और इसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि मृतक को मुआवजा देने का दायित्व रेलवे प्राधिकरण का होगा। मेरी सुविचारित राय में मुआवजे की राशि, जैसा कि दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं की अनुसूची (मुआवजा) नियम, 1990 में दर्शाया गया है, दावेदारों/अपीलकर्ताओं को दी जानी चाहिए, जो 9 % ब्याज के साथ 4 लाख रुपये की एकमुश्त राशि होगी।

(पैरा 19)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद सिंह।

प्रतिवादी/यूओआई की ओर से योगेश सैनी, वकील।

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन

(1) मैंने पक्षों को सुना है और इस मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(2) रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा मामले संख्या ओ ए-II/246/2011 में पारित निर्णय दिनांक 18/19.02.2014, जो अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका पर पंजीकृत किया गया था, है इस अपील में चुनौती दी गई है।

(3) अपीलकर्ता संख्या 1-धर्मवती देवी द्वारा दावा आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कथित रेलवे अप्रिय घटना में उनके बेटे मनोज कुमार की मृत्यु पर मुआवजे की मांग की गई थी। दावेदार के अनुसार, मृतक बल्लभगढ़ से दिल्ली के लिए वैध ट्रेन टिकट खरीदकर लक्रपुर, दिल्ली जा रहा था और ट्रेन में चढ़ गया था। हालाँकि, जब ट्रेन किमी 1503/10-12 पर पहुँची, तो यात्रियों की खींचतान और धक्का-मुक्की के कारण मृतक दुर्घटनावश ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

(4) प्रतिवादी-रेलवे ने आरोपों का खंडन करते हुए और दावा याचिका में दिए गए कथनों को विवादित करते हुए लिखित बयान दायर किया। लिखित बयान जांच लंबित रहने तक दाखिल किया गया था और प्रासंगिक समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित था, लेकिन वास्तव में, जांच पूरी होने के बाद और डीआरएम के अस्तित्व में आने के बाद भी लिखित बयान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था। लिखित बयान में यह भी कहा गया कि दावेदार ने ट्रेन नंबर का खुलासा नहीं किया है और इस तरह, वह वास्तविक यात्री नहीं था और इस बात से इनकार किया कि उसने बल्लभगढ़ से दिल्ली के लिए कथित रेलवे टिकट खरीदा था। अन्य कथनों का भी खंडन किया गया।

(5) ट्रिब्यूनल ने, पक्षों की दलीलों की सराहना करते हुए, निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

1. क्या घटना के समय मृतक ट्रेन का वास्तविक यात्री था?

2. क्या घटना रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के साथ पठित धारा 123 (सी)(2) के दायरे में आती है।

3. क्या आवेदक (सी) मृतक का एकमात्र आश्रित है/हैं?

4. राहत.

(6) आवेदकों ने दावेदार-धर्मवती देवी, मृतक की माँ को ए डब्ल्यू-1 के रूप में पेश करके मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। अभिसाक्षी ने दावा आवेदन के अनुसार घटना के विवरण की पुष्टि की। जिरह के दौरान उसने गवाही दी कि वह सेक्टर-24, बल्लभगढ़ की निवासी है और उसके घर से रेलवे स्टेशन तक कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा मनोज कुमार ईश्वर कंपनी नाम की एक फैक्ट्री में पार्ट-टाइमर के रूप में काम करता था, जो उनके निवास के पास है और इस कारण से, रेलवे लाइन पार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उसका बेटा शाम 6 या 6:30 बजे घर से निकल गया। हालाँकि, वह न तो उसके साथ गई और न ही उसने उसे अपनी उपस्थिति में टिकट खरीदते, ट्रेन पर चढ़ते या ट्रेन से गिरते हुए देखा। उसने बताया कि उसकी जेब से 840 रुपये नकद और एक ट्रेन टिकट बरामद हुआ, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था। उसने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि वह मृतक की व्यक्तिगत तलाशी के समय उपस्थित नहीं थी। एडब्ल्यू-2 राजबीर सिंह ने भी अपने

हलफनामे में दावे के संबंध में विस्तार से बताया है. जिरह के दौरान उसने बताया कि घटना के समय वह फरीदाबाद में था

और उसकी सास ने उससे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की, लेकिन प्रदीप नाम के किसी पड़ोसी ने उससे बात की। उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि वह फ़रीदाबाद में थे, इसलिए वह मृतक को ट्रेन से गिरते हुए नहीं देख सके। हालाँकि, उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और वहाँ पुलिस मौजूद थी और उनकी सास भी उनके साथ थीं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है. उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सास ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने जमातलाशी की जिसमें कुछ नकदी, एक टिकट और ईएसआई बीमा का एक कार्ड बरामद हुआ और ये चीजें पुलिस ने 2-3 दिनों के बाद वापस कर दीं।

(7) आवेदकों ने दस्तावेज भी दाखिल किए, उदाहरण के लिए, एक्स.ए-1, स्टेशन मेमो दिनांक 13.12.2010 की प्रति, एक्स.ए-2, मृत्यु रिपोर्ट संख्या 299 दिनांक 13.12.2010 जो जीआरपी/फरीदाबाद द्वारा साइट के स्केच के साथ तैयार की गई थी। मामले की योजना और संक्षिप्त इतिहास; एक्स.ए-3, फर्द जमातलशी दिनांक 13.12.2010 को जीआरपी/बल्लभगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़ से दिल्ली जं. तक एक टिकट नंबर 33242361 से 840/- रुपये नकद बरामद किए गए। और ईएसआई बीमा की एक रसीद; प्रदर्शनी ए-4, GRP द्वारा हवालागी जमातलाशी; प्रदर्शनी ए-5, ट्रेन टिकट नंबर 33242361 की प्रति। बल्लभगढ़ से दिल्ली जं. दिनांक 13.12.2010 को 19.31 बजे क्रय किया गया; उदाहरण-ए-6, ईएसआई निगम की पुरानी रसीद की प्रति; प्रदर्शनी ए-7, GRP द्वारा मामले का संक्षिप्त इतिहास; प्रदर्शनी ए-8 से 11, श्री राजबीर पुत्र श्री शिव चरण, श्रीमती धर्मवती पत्नी स्वर्गीय श्री रत्तू कुमार, मृतक की मां, श्री राजेश पुत्र श्री हर पार्षद, श्री राकेश पुत्र श्री हर के बयान जीआरपी के समक्ष पार्षद; प्रदर्शनी ए-12, मृतक का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए GRP/बल्लभगढ़ द्वारा MO/BK हॉस्पिटल, फ़रीदाबाद को लिखा गया पत्र दिनांक 14.12.2010; प्रदर्शनी ए-13, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट; प्रदर्शनी ए-14-15, राशन कार्ड की प्रति; ए-16, मनोज कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(8) प्रतिवादी/रेलवे ने यह कहते हुए डीआरएम-रिपोर्ट दायर की है कि, आरपीएफ द्वारा पूछताछ करने पर, यह पता चला कि राज सिंह, हेड कांस्टेबल/आरपीएफ को आजाद नगर के प्रदीप पुत्र श्री शरण से टेलीफोन पर कॉल आया कि मनोज नाम का एक लड़का है। झुग्गी नंबर 1249 निवासी कुमार पुत्र रत्तू की रेलवे लाइन पार करते समय चलती ट्रेन के सीधे संपर्क में आने से मौत हो गई। उक्त घटना 13.12.2010 को 19:00 बजे दर्ज की गई थी और आईओ/जीआरपी ने मृतक के पास से एक ट्रेन टिकट बरामद किया है, जो तथ्यात्मक रूप से 19:31 बजे खरीदा गया था, यानी घटना के बाद, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से रेलवे तक। स्टेशन, दिल्ली. मृतक का शव तीसरी लाइन के बीच पड़ा हुआ था जिससे साफ हो रहा था कि वह ट्रेन से नीचे नहीं गिरा है। ऐसे में उसका शव ट्रैक के किनारे मिलना चाहिए था, ट्रैक के बीच नहीं। यह भी स्थापित है कि मृतक मनोज कुमार रेलवे लाइन पर घटना स्थल के पास रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनी झुग्गी नंबर 1249 में रह रहा था। संक्षेप में, राज सिंह, एचसी/आरपीएफ के बयान और मृतक की मां और एचसी/आरपीएफ श्री बलवान सिंह सहित विभिन्न

अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर, डीआरएम रिपोर्ट में यह विचार किया गया है कि रेलवे प्राधिकरण नहीं था। इस प्रकार, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार, प्रासंगिक कानून के अनुसार इसे एक अप्रिय घटना के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

(9) श्री अरुण देव गर्ग, स्टेशन मास्टर, बल्लभगढ़ द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभिसाक्षी 13.12.2010 को स्टेशन मास्टर, बल्लभगढ़ के रूप में ड्यूटी पर था और उसे हेड कांस्टेबल राज सिंह, आरपीएफ द्वारा सूचित किया गया था कि मृतक था। बल्लभगढ़ न्यू टाउन फ़रीदाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 1503/10-12-तृतीय लाइन पर एक अतिक्रमी और शव पड़ा हुआ था। हेड कांस्टेबल से संदेश मिलने के 21:45 घंटे बाद उनके द्वारा मेमो जारी किया गया।

(10) आरडब्ल्यू-2 राज सिंह, हेड कांस्टेबल हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि अभिसाक्षी 13.12.2010 को बल्लभगढ़ में हेड कांस्टेबल, आरपीएफ के रूप में ड्यूटी पर थे और मृतक का शव किमी 1503/10 पर तीसरी लाइन पर पड़ा था। 12 बल्लभगढ़-फरीदाबाद न्यू टाउन के बीच। मृतक झुग्गी नंबर 1249, आजाद नगर, सेक्टर 24, बल्लभगढ़ न्यू टाउन का रहने वाला था। इस गवाह को प्रदीप पुत्र श्री राम शरण, निवासी झुग्गी आज़ाद नगर, बल्लभगढ़ ने अपने सेल फोन पर सूचित किया कि उसके पड़ोसी मनोज कुमार पुत्र रत्तू की 19:00 बजे रेलवे लाइन पार करते समय मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक के पास से बरामद टिकट 19:31 बजे बेचा गया था। हालाँकि, जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह उस दिन 8:00 बजे से 20:00 बजे तक बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर था। घटना स्थल बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग डेढ़-दो किलोमीटर दूर था और वह घटना स्थल पर नहीं गये। उसे प्रदीप ने ही बताया था कि उसके सामने एक लड़का रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने स्टेशन मास्टर को फोन कॉल के बारे में सूचित किया। उन्होंने आगे बयान दिया है कि उन्होंने मामले की जांच नहीं की है, बल्कि उन्होंने आईओ/आरपीएफ के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और आगे, उन्होंने जीआरपी के सामने अपना बयान नहीं दिया है। आरडब्ल्यू-3 जी.आर.मीणा, एसआई/आरपीएफ/बल्लभगढ़ हैं। उन्होंने मृतक के झुग्गी नंबर 1249 का निवासी होने के संबंध में उपरोक्त कथन की पुष्टि की है

, आज़ाद नगर, बल्लभगढ़, के एम एन1503/10-12 ट्रेन के नीचे आने से चोट लगने से मृत्यु हो गई। उनके द्वारा मामले की जांच की गई और प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज उनके द्वारा एकत्र किए गए, जिसके दौरान यह प्रकाश में आया कि प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने मनोज कुमार को रेलवे लाइन पार करते देखा था और यह भी देखा था कि वह ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि मृतक के शरीर से बरामद टिकट 19:31 बजे यानी घटना के समय के बाद जारी किया गया था। उन्होंने माना कि हादसे के बाद अन्य ट्रेनें भी उस रूट से गुजरी होंगी. उनके अनुसार प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम शरण के अनुसार दुर्घटना 1900 बजे हुई।

(11) मौखिक और दस्तावेजी दोनों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों के आधार पर और एक प्रदीप कुमार के संस्करण पर काफी हद तक भरोसा करते हुए, जिसका बयान कथित तौर पर डीआरएम

पूछताछ के दौरान आरपीएफ कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था, ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक ट्रेन से कट गया था और टिकट वास्तव में 13.12.2010 को 19:31 बजे खरीदा गया था, यानी घटना के समय के काफी बाद। इसलिए, टिकट को ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने का मामला बनाने के लिए लगाया गया पाया गया, हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया है कि, प्रतिवादी के अनुसार, गवाह- प्रदीप का बयान जांच के दौरान दर्ज नहीं किया गया है। प्रदीप कुमार ने मृतक को रेलवे लाइन पार करते और ट्रेन से कटकर मौके पर ही मरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हेड कांस्टेबल को फोन पर सूचना दी। ट्रिब्यूनल ने आगे दर्ज किया है कि आवेदकों द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि कथित घटनाएं 19:00 बजे हुई थीं और ट्रेन टिकट की प्रति देखने से पता चलता है कि इसे 09:31 बजे जारी किया गया था। जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी भी की गई है क्योंकि ट्रिब्यूनल के अनुसार, उसने ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने का मामला बनाने के लिए टिकट लगाने की कोशिश की थी, ट्रिब्यूनल ने दर्ज किया है कि उसके कृत्य की आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए एक उच्च स्तरीय अधिकारी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

(12) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे समक्ष कहा कि चूंकि टिकट शव के पास से बरामद किया गया था। एक जमातलाशी मेमो भी रिकॉर्ड में है और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज करके घोर त्रुटि की है।

(13) इसके विपरीत, रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ट्रिब्यूनल के फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि फर्द जमातलाशी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एडब्ल्यू-1 धर्मवती ने पहले ही अपने संस्करण में कहा है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए या अंगूठे का निशान नहीं लगाया। और इसे RW-2 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि शव के पास से बरामद टिकट व अन्य सामान पुलिस ने धर्मवती को लौटा दिया था.

(14) प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण में बल पाता है कि कारणों को दर्ज करने की कार्यवाही से पहले, ट्रिब्यूनल को यह देखना आवश्यक था कि क्या पर्याप्त था लिखित बयान में दलील दी गई कि फर्द जमातलाशी एक जाली दस्तावेज है और टिकट लगाया गया था और दुर्घटना 19:00 बजे हुई थी और टिकट 19:31 बजे खरीदा गया था। दरअसल, ये रेलवे की दलील का हिस्सा नहीं हैं. यह बात उनके नेतृत्व में आए सबूतों में ही सामने आई है.' अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या दलील से परे साक्ष्य स्वीकार्य होंगे? उत्तर नकारात्मक ही होगा। बेशक लिखित बयान उस समय दर्ज किया गया था जब डीआरएम पूछताछ अभी भी चल रही थी। रेलवे द्वारा लिखित बयान 20.01.2012 को दायर किया गया था और डीआरएम की जांच रिपोर्ट दिनांक 23.08.2012 है, इसलिए, उन सामग्रियों को लिखित बयान में जगह मिलने का कोई सवाल ही नहीं था, जो इससे पहले दायर किया गया था, हालांकि, पैराग्राफ नंबर 1 में यह काले और सफेद रंग में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो और यदि पूछताछ के दौरान नई सामग्री या नए तथ्य सामने आते हैं तो प्रतिवादी प्राधिकारी के पास लिखित बयान में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में, लिखित बयान में संशोधन करना रेलवे का बाध्य

कर्तव्य था ताकि दावेदार को भी अपनी दलीलों में संशोधन करने या आरोपों का खंडन करने के लिए पूरक दायर करने का अवसर मिल सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

(15) यह एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को अपनी दलील से परे सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो रेलवे अधिकारियों द्वारा किया गया है और ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार किया गया है।

(16) अब गुण-दोष पर आते हैं, उत्तरदाताओं के साक्ष्यों के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ घूमता है और तथाकथित प्रदीप द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर है, जिसने शाम 7:00 बजे आरपीएफ कर्मियों को टेलीफोन पर सूचित किया था। कि मृतक ट्रेन की चपेट में आ गया था और चूंकि टिकट 19:31 बजे जारी किया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने पूरे मामले पर विश्वास नहीं किया।

(17) प्रश्न यह है कि क्या प्रदीप से गवाह के रूप में रेलवे द्वारा पूछताछ की जानी आवश्यक थी ? उत्तर सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष प्रदीप द्वारा रेलवे अधिकारियों के सामने दिए गए बयान पर आधारित है, लेकिन उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही नहीं दी है, ताकि दावेदार को भी सत्यता का परीक्षण करने का अवसर मिल सके। जिरह के दौरान उनका बयान. यह निश्चित रूप से रेलवे द्वारा किया जा सकता था क्योंकि प्रतिवादी के गवाह ने कहा है कि प्रदीप उसे जानता था, क्योंकि रेलवे लाइनों पर गश्त करते समय वह उससे कई बार मिला था, लेकिन यह दिलचस्प है कि रेलवे प्राधिकरण पेश करने में क्यों विफल रहा। उसे न्यायाधिकरण के समक्ष एक गवाह के रूप में। उनका एक बयान आरडब्ल्यू-3 जी.आर.मीना, एसआई/आरपीएफ/बल्लभगढ़ के हलफनामे के साथ संलग्न है, जिसे 04.04.2013 को उक्त प्रदीप द्वारा दर्ज और हस्ताक्षरित किया गया था। यानी कि उस दिन इसे रेलवे अथॉरिटी के सामने रिकॉर्ड किया गया था. सवाल यह होगा कि ऐसा बयान 04.04.2013 को इतनी देर से क्यों दर्ज किया जा सका जबकि डीआरएम जांच रिपोर्ट 23.08.2012 की है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह साक्ष्य दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान दावेदार के मामले को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया था अन्यथा इसे डीआरएम रिपोर्ट के साथ भी जोड़ा जा सकता था। मेरे विचार में मामले के लंबित रहने के दौरान बनाए गए ऐसे सबूतों का कोई महत्व नहीं होगा। यदि प्रदीप कुमार का ऐसा बयान, जिसे शपथ पत्र ए डब्ल्यू-3 के साथ रिकॉर्ड पर लाया गया है, ध्यान से पढ़ा जाए तो वह टेलीफोन पर 13.12.2010 को हुई एक घटना के बारे में बता रहा है "सत बजे शाम के आस पास" मृतक ट्रेन से कुचल दिया गया. उन्होंने सटीक समय नहीं बताया है.

(18) इस प्रकार, मेरे विचार में, ट्रिब्यूनल के समक्ष परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण गवाह पेश न करने के लिए रेलवे विभाग के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है और बिना रिकॉर्डिंग के रेलवे के पक्ष में निर्णय पारित करके ट्रिब्यूनल द्वारा घोर त्रुटि की गई है। घटना के संबंध में प्रदीप कुमार उपरोक्त का बयान. यदि, उसने मोबाइल फोन पर कोई जानकारी दी है, तो कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और ऐसा करने के लिए भी दलीलों में संशोधन करना आवश्यक था।

(19) ऐसी स्थिति में, जब मृतक के पास से वैध टिकट पाया जाता है, तो प्रथम दृष्टया यह समझना होगा कि वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था, इसलिए यह भी समझना होगा कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। ट्रेन से गिर गया और उसकी जान चली गई, जो आवेदक का मामला है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उपरोक्त का खंडन करने के लिए प्रतिवादी-रेलवे द्वारा कोई ठोस सबूत नहीं दिया जा सका। मेरी सुविचारित राय में, प्रदीप कुमार के बयान पर भरोसा करते हुए पुलिस प्राधिकार पर सख्ती की गई, क्योंकि उन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था और न ही रेलवे द्वारा लिखित बयान में संशोधन किया गया था और यहां तक कि उनका बयान डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया था। पूरी तरह से अनुचित है और इसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि, मृतक को मुआवजा देने का दायित्व रेलवे प्राधिकरण का होगा। मेरी सुविचारित राय में मुआवजे की राशि, जैसा कि दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं की अनुसूची (मुआवजा) नियम, 1990 में दर्शाया गया है, दावेदारों/अपीलकर्ताओं को दी जानी चाहिए, जो 9 % ब्याज के साथ 4 लाख रुपये की एकमुश्त राशि होगी। दावा याचिका दायर करने की तारीख से उसके भुगतान तक प्रति वर्ष की गणना की जाएगी।

(20) हालाँकि, इस मामले से अलग होने से पहले, मेरी राय में, चूंकि रेलवे ने एक व्यक्ति प्रदीप कुमार के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो घटना का चश्मदीद गवाह था, लेकिन उसने उसे गवाह के रूप में पेश नहीं किया है। ट्रिब्यूनल ने न ही लिखित बयान में संशोधन किया था और उपरोक्त व्यक्ति का बयान डीआरएम रिपोर्ट में संलग्न नहीं है, लेकिन दावा याचिका की गलत अस्वीकृति का यही कारण है, जिसके कारण गरीब व्यक्ति होने के नाते अपीलकर्ताओं को इस पर विचार करना पड़ा। न्यायालय ने इस अपील पर विचार करते हुए कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें उत्तरदाताओं पर अनुकरणीय लागत लगाई जानी चाहिए जिसका मूल्यांकन 25,000/- रुपये है।

(21) परिणामस्वरूप, यह अपील अपीलकर्ताओं के पक्ष में रेलवे प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली 25,000/- रुपये की लागत के साथ स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा